



पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार



राज्य के ईट-भट्टा मालिकों / संचालकों / आम नागरिकों के लिए

आवश्यक सूचना

ईट-भट्टों का उत्सर्जन वायु प्रदूषण का एक मुख्य कारक है।

माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा वाद संख्या- 15962/2018 में दिनांक - 04.12.2018 को पारित आदेश के अनुसार नये सत्र में मात्र स्वच्छतर तकनीक में सम्परिवर्तित ईट-भट्टों का ही संचालन किया जाना है।

अतः सभी ईट-भट्टा मालिकों को निर्देश दिया जाता है कि बिना स्वच्छतर तकनीक आधारित ईट-भट्टों का संचालन नहीं करें।

आम नागरिकों से अनुरोध है कि राज्य में पुरानी तकनीक पर संचालित ईट-भट्टों की सूचना बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्सद के ई-मेल - grievance@bspcb.in पर अथवा व्हाट्सएप नंबर - 7070379278 पर भेज सकते हैं।

जल-जीवन-हरियाली, तभी होगी खुशहाली

#BiharGovtInitiative

#BiharEnvironmentForestClimateChangeDept



0612-2233333



BiharEnvironmentAndForestDept



BiharForestDept